



120

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़**  
**अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002**  
**(अपर-प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)**

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विद्युत/479-176/1856

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:-

**Diversion of 9.589 ha of forest land in favour of CSPTCL for construction of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatari to M/s NTPC Ltd. Jurda in Raigarh district in the state of Chhattisgarh- regarding.**

-

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRANS/ 39462/2019

संदर्भ:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ.सी.-2/आई.आर.ओ.सी.एच.-07/2021/403 दिनांक 07.12.2021
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 1175 दिनांक 04.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 1892 दिनांक 21.07.2022

-00-

उपरोक्त संदर्भित पत्र -1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा "रायगढ़ वन मण्डल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्तावित प्रकरण 132 KV DCDS Transmission line from 220/132 KV SS Kondatari to M/s NTPC Ltd. तक रकबा 9.589 हे. वन /राजस्व वन क्षेत्र को गैर वानिकी उपयोग हेतु दिये जाने बाबत प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र -2 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति उपरांत पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा पत्र दिनांक 21.07.2022 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण औषधीय रोपण की अंतर की राशि एवं एवीफौना योजना की राशि जमा कराकर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

S.No.	Conditions	Compliance Status
I	Legal status of the forest land shall remain unchanged;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-1)।
II	<b>Compensatory afforestation</b> (A) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 19.178 ha degraded forest land of Compartment No. OA 1029- 3.417 Ha. , OA 1023- 8.076 Ha. and OA 1021- 7.685 Ha. Village- Rengapali, Block- Pusaur at Raigarh District, in Raigarh Forest Division, at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species	(A) शर्त अनुसार प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 19.178 हे. में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जावेगा।

19

S.No.	Conditions	Compliance Status																				
	shall be planted and monoculture of any species may be avoided;																					
	(B) The non-forest land which has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department:	(B) प्रकरण में दुगुने-बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित है।																				
III	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 19.178 हे. में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से वर्ष 2022-23 की वर्तमान प्रचलित दर राशि रु. 878787/- प्रति हे. के मान से कैम्पा खाते में ई पोर्टल के माध्यम से राशि रु. 1,68,53,378 जमा करायी गई है जो निम्नानुसार है:- <table><tr><th>मद</th><th>राशि</th><th>दिनांक</th></tr><tr><td>CA</td><td>1,53,22,046</td><td>18.02.2022</td></tr><tr><td>CA (अंतर)</td><td>15,31,332</td><td>08.07.2022</td></tr><tr><td>योग</td><td>1,68,53,378</td><td></td></tr></table> पुष्टि हेतु वेब जनरेटेड कैम्पा पत्रक संलग्न है। (संलग्नक-2) अंतिम चरण स्वीकृति पश्चात क्षेत्र व्यपवर्तन के पूर्व अंतर की राशि जमा करायी जावेगी।	मद	राशि	दिनांक	CA	1,53,22,046	18.02.2022	CA (अंतर)	15,31,332	08.07.2022	योग	1,68,53,378									
मद	राशि	दिनांक																				
CA	1,53,22,046	18.02.2022																				
CA (अंतर)	15,31,332	08.07.2022																				
योग	1,68,53,378																					
IV	NPV:																					
(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.011 Ha. Forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008. and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	प्रकरण में आवेदक संस्थान से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि रु. 6,30,90,344 कैम्पा खाते में ई पोर्टल के माध्यम से जमा करायी गई है। विवरण निम्नानुसार है:- <table><tr><th>ईको क्लास एवं घनत्व</th><th>रकबा हे.में</th><th>दर</th><th>राशि</th><th>जमा करने का दिनांक</th></tr><tr><td>तृतीय सघन</td><td>2.19</td><td>803000</td><td>1758570</td><td>18.02.2022</td></tr><tr><td>तृतीय विरल</td><td>7.399</td><td>626000</td><td>4631774</td><td></td></tr><tr><td>योग</td><td>9.589</td><td></td><td>6390344</td><td></td></tr></table> , पुष्टि हेतु वेब जनरेटेड कैम्पा पत्रक संलग्न है। (संलग्नक-2)	ईको क्लास एवं घनत्व	रकबा हे.में	दर	राशि	जमा करने का दिनांक	तृतीय सघन	2.19	803000	1758570	18.02.2022	तृतीय विरल	7.399	626000	4631774		योग	9.589		6390344	
ईको क्लास एवं घनत्व	रकबा हे.में	दर	राशि	जमा करने का दिनांक																		
तृतीय सघन	2.19	803000	1758570	18.02.2022																		
तृतीय विरल	7.399	626000	4631774																			
योग	9.589		6390344																			
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee, shall be charged by the State Govt. from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है, तो आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)																				

S.No.	Conditions	Compliance Status
V	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> );	आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा मद की राशि ई पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है एवं वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-4)।
VI	Felling of trees shall be restricted to only 287 trees, throughout the length of the transmission line while remaining 1319 trees will be kept intact by the User Agency. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। वृक्ष विदोहन हेतु आवेदक संस्थान द्वारा विदोहन की राशि रु. 5,86,544/- डी.डी. क्रमांक 900672 दिनांक 25.02.2022 द्वारा वनमण्डल कार्यालय में जमा किया गया है। पुष्टि हेतु जमा रसीद संलग्न है। (संलग्नक-5)
VII	No approach road shall be constructed in the forest area for transportation of steel and other material required for the transmission line. As far as possible the User Agency shall use the existing road and the event of non-availability of such facilities, the User Agency shall transport material manually without construction of any path.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदनुसार का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-6)।
VIII	The user agency, shall be submit Specific comments of Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh, on Schedule-I species like, Leopard, Tiger, Indian Gazelle, Four homed antelope, Wolf, Sloth bear, Striped Hayena, Indian Pangolin, ect. the same shall be submitted along with the Stage-I compliance report.	शर्त के अनुक्रम में अ.प्र.मु.व.संरक्षक (वन्य प्राणी) को प्रेषित मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के पत्र दिनांक 21.06.2022 अनुसार प्रकरण ट्रांसमिशन लाईन होने के कारण वन्य प्राणी योजना की आवश्यकता नहीं है। कार्यालयीन पत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा शर्त के अनुक्रम में अभिमत बाबत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अनुरोध किया गया है, अभिमत अप्राप्त है। आवेदक संस्थान द्वारा शर्त पालन के संबंध में वचन पत्र दिया गया है जो संलग्न है (संलग्नक-7)। प्रस्ताव में वन्य प्राणी प्रभाग से प्राप्त अभिमत अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
IX	User Agency Shall prepare Avifauna management plan with consultation of State Forest Department, the same shall be submitted along with Stage-I compliance report.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदनुसार का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)। आवेदक संस्थान द्वारा एवीफौना योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित राशि रु. 900000/- ई पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में दिनांक 08.07.2022 को जमा किया गया है। पुष्टि संलग्नक-2 से की जा सकती है।
X	Compliance of Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 along with supporting documents in the form of copies of record of proceedings of the Forest	पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 184 से 187 में कलेक्टर रायगढ़ का वन अधिकार वितरण प्रमाण पत्र, राजस्व वनभूमि के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय

S.No.	Conditions	Compliance Status
	Rights Commitment, Gram Sabha (s), Sub Divisional Level Committee(s) has not submitted by the User Agency the same shall be submitted by the User Agency along with State-1 compliance report for Stage-2 approval.	वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है। छायाप्रति पुनः संलग्न है। (संलग्नक-9)।
XI	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
XII	User agency shall obtain environment clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवश्यकता नहीं है।
XIII	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
XIV	The User agency shall provide firewood, preferably alternate fuels, to the labourer and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
XV	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि अनुसार रु. 1,50,744/- वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 900673 दिनांक 25.02.2022 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-13)।
XVI	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-14)।
XVII	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
XVIII	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।
XIX	The user agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintain necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-17)।
XX	To minimize the felling for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:	
(a)	Below each conductor, width clearance of 3 mts. would be permitted for carrying the	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-18)।

S.No.	Conditions	Compliance Status
	tension stringing equipment. The trees on such trips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	
(b)	One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-19)।
(c)	In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.0 meter clearance between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-20)।
(d)	User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department; and	शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्राक्कलन अनुसार रकबा 3.551 हे. लिए औषधी वृक्षारोपण की राशि रु. 28,36,683/- तथा अंतर की राशि रु. 2,83,890/- कुल राशि रु. 31,20,573/- कैम्पा खाते में वेब पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है। पुष्टि संलग्नक-2 से की जा सकती है।
(e)	In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-21)।
XXI	Height of transmission towers, in forest areas, wherever required, shall be increased to provide ground clearance to the extent maximum possible as per relevant permissible norms;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-22)।
XXII	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-23)।
XXIII	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-24)।
XXIV	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines date 7.01.2015 and	शर्त के अनुक्रम में एक वर्ष की कार्यअनुमति हेतु मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर को लेख की गई है।

S.No.	Conditions	Compliance Status
XXV	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

कृपया प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुए अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- संलग्नक 1 से 24 तक की छाया प्रति

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व. सं. अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-176/ 1857

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर। प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (vi) के अनुपालन में वृक्ष विदोहन की अनुमति जारी करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गण्डक लाईन दिनांक 28.08.2015 के अंतर्गत आवेदक संस्थान द्वारा सीमांकन की शर्त पर प्रथम चरण स्वीकृति में दी गई शर्तों की पालन के शर्त पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। उत्पादन प्रभाग से वृक्ष विदोहन की अनुमति लिये बिना वृक्षों का विदोहन नहीं किया जावेगा।
3. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
4. अधीक्षण अभियंता, अ.उ.दा. (नि एवं सं.) वृत्त, छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. बिलासपुर। शर्त (ix) के पालन में अनुमोदित एवीफौना योजना की प्रति शीघ्र प्रस्तुत करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व. सं. अ)  
01/ छत्तीसगढ़